

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2022/836

दिनांक 12/04/2022

प्रार्थीगण :-

1.खींयाराम 2.नथाराम पि.भूराराम 3.वीजाराम पुत्र गंगाराम 4.अमरूदेवी पत्नि गंगाराम 5.टीमूदेवी पत्नि धर्मराम 6.राजेश्वरी पत्नि धर्मराम 7.हरिशकुमार पुत्र धर्मराम 8.नानगाराम पुत्र रूगाराम, जातियान जाट निवासी बीलासर, तहसील चौहटन,

विप्रार्थीगण :-

1.हुकमाराम 2.लालाराम 3.पेमराम पि. पुरखा 4.पोला 5.हरा 6.अमरा 7.बांका 8.पूनमा पि.खेमा 9.सीता पत्नि खेमा 10.किशना 11.चेतन पि.मगा 12.राजो पत्नि मगा 13.नारणा पुत्र हरा, जातियान जाट, निवासी बीलासर तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत।

राजस्व आवेदन सं. 339/2018

दिनांक : 12.04.2022

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र तारातरा के मौजा बीलासर के खेत खसरा सं. 1316 रकबा 08.07 बीघा, खसरा सं. 1386 रकबा 00.02 बीघा, खसरा सं. 1387 रकबा 53.06 बीघा, खसरा सं. 1451/1397 रकबा 09.00 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2022/ 837 to 840

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थीगण खींयाराम वगैरा
3. विप्रार्थीगण हुकमाराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धौरीमन्ना

(भागीस्थ राम II)

उपखण्ड अधिकारी

दिनांक

12/04/2022



उपखण्ड अधिकारी

चौहटन